

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 1001542012

दांडिक प्रकरण क.-154 / 2012

संस्थापित दिनांक-04.05.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-अमोलसिंह पुत्र रघुनाथसिंह विस्वकर्मा आयु 55 वर्ष निवासी हरिजन मौहल्ला बिक्रमपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर	आरोपी
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।	
आरोपी द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।	

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 31.10.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 379, एवं 113/194 मोटरयान अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी शुरेशचंद पटेरिया ने दिनांक 03.05.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 03.05.12 को 14:20 बजे विक्रमपुर तिराहा चंदेरी पर ट्रक क्रमांक एम पी 09 केडी 1268 को रोड पर चैक किया तो ट्रक चालक अमोलसिंह के पास रायल्टी न होना पाया गया तथा आरोपी द्वारा खनिज पत्थर चोरी कर अवैधरूप से उत्खनन किया जा रहा था तथा आरोपी का ट्रक ओवरलोडेड भरा हुआ था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 154/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 379, एवं 113/194 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 379, एवं 113/194 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.05.12 को समय 14:20 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी में स्थित विक्रमपुर तिराहे पर ट्रक क्रमांक एमपी 09 के डी 1268 से खनिज पत्थर अवैधरूप से उत्खनन कर बिना राँयल्टी दिये ले जाकर चोरी कारित की, जो कि धारा 379 भादवि के अंतर्गत दण्डनीय है, और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?
2. आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रक में निर्धारित भार की अधिक सीमा में पत्थर को भरकर चलाया, जो धारा 113/194 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है, और इस न्यायालय के

प्रसंज्ञान में है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सुरेशचंद, अ.सा.2 अब्दुल हमीद, अ.सा.3 राहुल चतुर्वेदी, अ.सा.4 प्रवीण साहू, अ.सा.5 रामकिशोर, अ.सा.6 पी सी वाजपेय की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 सुरेशचंद ने अपने कथन में बताया है कि वे दिनांक 03.05.12 को थाना चंदेरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को विक्रमपुर में ट्रक क्र. एम पी 09 के डी 1268 को रोककर चैक किया तो उसमें अवैध खनिज पत्थर भरा हुआ पाया गया था जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई दस्तावेज नहीं था और साथ ही ट्रक ओवरलोडेड भी था। अ.सा.1 के अनुसार ट्रक को मौके पर प्र0पी01 के अनुसार उसने जप्त किया था जिसके ए से ए भाग उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को प्र0पी02 के अनुसार गिरफ्तार किया था एवं रिपोर्ट प्र0पी03 तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके साथ 3-4 लोग गये थे तथा खनिज विभाग ने अपनी कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी से इस बात से इंकार किया गया है कि प्र0डी01 का रोजनामचा फर्जीरूप से तैयार किया गया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया गया है कि ट्रक की जप्ती थाने पर बनाई है। अ.सा.2 अब्दुल हमीद ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को टी आई पटेरिया के साथ गश्त इलाका व चैकिंग के लिए विक्रमपुर गया था। उक्त साक्षी के अनुसार ट्रक

की पत्थर से संबंध में रायल्टी मांगने पर रायल्टी नहीं होना बताया था जिसे टी आई साहव ने जप्त किया था। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने विक्रमपुर तिराहे पर कार्यवाही की थी।

08— अ.सा.5 रामकिशोर ने अपने कथन में बताया है कि विक्रमपुर क्षेत्र में कार्यवाही के लिए वे लोग गये थे तथा आरोपी से ट्रक में भरे हुए अवैध खनिज पत्थर के दस्तावेजों के बारे में पूछा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने कोई दस्तावेज न होना बताया था। अ.सा.5 के अनुसार जप्तशुदा ट्रक उसके समक्ष जप्त किया गया था। अ.सा.6 पी सी वाजवेयी ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 03.05.12 को थाना चंदेरी में ए एस आई के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे। अ.सा.6 के अनुसार उसने नक्सा मौका विक्रमपुर तिराहे पर बनाया था।

09— अ.सा.3 राहुल चतुर्वेदी पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी को नहीं जानता तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई है और साथ ही उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने पुलिस कथन प्र0पी04 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं दिया। इसी प्रकार अ.सा.4 प्रवीण साहू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी05 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है।

10— अभियोजन की ओर से जो बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 के साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा उनके समक्ष

कोई भी कार्यवाही होने से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उनमें मामले के फरियादी अ.सा.1 ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को उसने उक्त जप्तशुदा ट्रक को रोक कर चैक किया था जिसमें अवैधरूप से खनिज पत्थर रखा हुआ था और साथ ही ट्रक ओवरलोडेड था। उक्त तथ्य का अनुसर्मथन अ.सा.2 अ.सा.5 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा.2 एवं अ.सा. 05 ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी के पास से ट्रक जप्त किया गया था जिसमें अवैधरूप से उत्खनन के पत्थर रखे गये थे। यद्यपि प्रकरण में जप्ती पंचनामा के साक्षी पक्षद्रोही हो गये हैं किंतु मात्र उक्त साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला बनाया गया समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

11— प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह कहीं प्रकट नहीं होता है कि आरोपी को मामले में झूठा फसाया गया है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य अखण्डनीय रही है तथा सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला बनाया गया है। बचाव पक्ष का यह तर्क कि सभी साक्षीगण पुलिस के साक्षीगण हैं तथा उनपर विश्वास करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से ऐसा कहीं प्रकट नहीं होता है कि उक्त साक्षीगण झूठ बोल रहे हैं या उनके द्वारा जानबूझकर झूठी कार्यवाही की गई है। आरोपी की ओर से जो बचाव के रूप में दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं उनमें जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 08.05.12 एवं पंचनामा दिनांक 03.05.12 के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि जिला कलेक्टर द्वारा यह पाया गया है कि प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक का अवैध परिवहन किया गया है। इस प्रकार आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी द्वारा अवैध परिवहन किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त ट्रक में बिना रॉयल्टी के खनिज पत्थर भर

कर चोरी कारित की गई। जहां तक ट्रक के ओवरलोडेड होने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक ओवरलोडेड था। प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक में कितना लोड था तथा वह मात्रा से कितना अधिक था इसके संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, उनमें साक्षीगण ने मात्र यह कथन किया है कि जप्तशुदा ट्रक ओवरलोडेड था किंतु साक्षीगण ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त ट्रक कितना ओवरलोडेड था और न ही अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त ट्रक ओवरलोडेड था।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 379, एवं धारा 113/194 मोटरयान अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

14— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक चौरसिया का निवेदन है कि उक्त

अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा शासन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की चोरी कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा. द.वि. की धारा 379 के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे।

16— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ट्रक पूर्व से सुपुदर्गी पर है अतः सुपुदर्गीनामा निरस्त समझा जावे तथा जप्तशुदा पत्थर खनिज विभाग को वापिस किया जावे।

18— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)